कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

क्रमांक 1135/ समुकाअ/चिप्स/2021 रायपुर, दिनांक 13/07/2021

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
बलौदाबाजार वनमण्डल,
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, (छत्तीसगढ़).

विषय : भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के सफल क्रियान्वयन हेतु बलौदाबाजार–भाटापारा जिला के बलौदाबाजार वनमण्डल के बारनवापारा अभ्यारण्य अन्तर्गत कसडोल ब्लॉक के शामिल ग्राम पंचायत के मार्ग समानांतर कुल वनभूमि 1.137 हे. पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन भुमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ को उपयोग पर देने बाबत्। पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/43975/2020

संदर्भ : 1. आपका पत्र क्र./व.त.अ./विविध/1467 दिनांक 18/05/2021।
2. मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र रांचालक, उदन्ती–सीतानदी टाइगर रिजर्व रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक /मा.चि./व.स.यो./2021/1115, दिनांक 18/03/2021।

— 00 —

विषयांतर्गत भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के सफल क्रियान्वयन हेतु बलौदाबाजार–भाटापारा जिला के बलौदाबाजार वनमण्डल के बारनवापारा अभ्यारण्य अन्तर्गत कसडोल ब्लॉक के शामिल ग्राम पंचायत के मार्ग समानांतर कुल वनभूमि 1.137 हे. पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्तुत प्रस्ताव में कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत जो कमिय पाई गई है उनका बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार है –

बिंदु क्रमांक	पाई गई कमियां	कमियों की पूर्ति
1	आपके द्वारा प्रस्तुत टोपोशीट एवं संयुक्त रूप से प्रभावित होने वाले क्षेत्रो में भिन्नता पाई गई है क्योकि टोपोशीट में प्रभावित होने वाले समस्त कक्ष बारनवापारा अभ्यारण्य में दर्शित है जबकि उपरोक्त प्रमाण पत्र में प्रभावित होने वाले कक्ष आंशिक रूप से क्षेत्रीय वनमंडल बलौदा बाजार के क्रमशः सोनाखान एवं लवन परिक्षेत्र में दर्शाये गए है।	उक्त प्रस्ताव में त्रुटिवश कुछ वन कक्षों के परिक्षेत्र का नाम कोठारी एवं बारनवापारा परिक्षेत्र के स्थान पर सोनाखान एवं लवन परिक्षेत्र उल्लेखित किया गया था जिसे संशोधित कर पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी बलौदाबाजार वनमण्डल प्राप्त दि. 30/7/21

बिंदु क्रमांक	पाई गई कमियां	कमियों की पूर्ति
2	आपके द्वारा प्रस्तुत वन आवरण मानचित्र (Forest Cover Map) में प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन कक्ष क्रमांक 149, 161एवं 224 से भी होकर गुजरना पाया गया है जबकि बिंदु क्रमांक 1 में वर्णित प्रमाणपत्र में इसका उल्लेख नहीं है कि उक्त कक्षो के अंतर्गत प्रभावित होने वाले वन क्षेत्र की लम्बाई एवं क्षेत्रफल क्या है।	प्रस्तुत वन आवरण मानचित्र (Forest Cover Map) में प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन कक्ष क्रमांक 149, 161एवं 224 से भी होकर गुजरना पाया गया है किन्तु सर्वेक्षण के दौरान मौके पर वास्तविक स्थिति निम्नानुसार है – कक्ष क्रमांक 149 – इस स्थान पर ओ.एफ.सी. लाइन कक्ष क्रमांक 151 से गुजरने के बाद कक्ष क्रमांक 220 से गुजरेगा जिससे कक्ष क्रमांक 149 प्रभावित नहीं हो रहा है। कक्ष क्रमांक 224 – इस स्थान पर भी ओ.एफ. सी. लाइन कक्ष क्रमांक 222 से गुजरने के बाद कक्ष क्रमांक 223 से गुजरेगा जिससे कक्ष क्रमांक 224 प्रभावित नहीं हो रहा है। कक्ष क्रमांक 161 – प्रस्ताव में कक्ष क्रमांक 161 कोठारी परिक्षेत्र के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है जिसमे प्रभावित होने वाले वन क्षेत्र की लम्बाई 825.144 मी. एवं क्षेत्रफल 0.041 हे. है।
3	आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न (पार्ट 2)–16 बिन्दुओ के बिंदु 8 (iv) में किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य, बायोस्फियर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व वन्य प्राणियों के विचरण से सम्बंधित गलियारे के प्रस्तावित्र वन भूमि व्यपवर्तन के 1 किमी. की परिधि में स्थित होना नहीं दर्शाया गया है जबकि यह प्रस्तावित परियोजना बारनवापारा अभ्यारण्य के भीतर से ही गुजरेगी।	प्रस्ताव मे पार्ट 2 संलग्न है।

उपरोक्तानुसार त्रुटियों का निराकरण कर पुनरीक्षित प्रस्ताव आवश्यक दस्तावेजों एवं मानचित्रो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है अतः निवेदन है कि प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(हस्ताक्षर)

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स, स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.) CHiPS State Data Center Civil Lines, Raipur (C.G.) Chhattisgarh Infotech Promotion Society

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार

✉ Email :- dfo_balodabazar@rediffmail.com ☎ 07727-296526

क्रमांक / व.त.अ. / विविध / 1467 बलौदाबाजार, दिनांक 18 / 05 / 2021

प्रति,

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स)
सिविल लाईन रायपुर (छ.ग.)

विषय :– भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट **(A Part of Digital India)**" के सफल क्रियान्वयन हेतु बलौदाबाजार–भाटापारा जिला के बलौदाबाजार वनमण्डल के बारनवापारा अभ्यारण्य अंतर्गत कसडोल ब्लॉक के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायत के मार्ग समानांतर कुल वनभूमि रकबा 1.137 हे. पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ को उपयोग पर देने बावत्। पंजीयन क्रमांक **FP/CG/OFC/43975/202020**

संदर्भ :– मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक, उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्र. / मा.चि. / व.सं.यो. / 2021 / 1115 दिनांक 18 / 03 / 2021

— 00 —

उपरोक्त विषयांतर्गत इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित संदर्भित पत्र द्वारा उठाई गई 3 बिन्दुओं की आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार प्रतिवेदन के साथ संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय में अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सकें।

वनमण्डलाधिकारी
बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार

पृ0 क्रमांक / व.त.अ / विविध / 670 बलौदाबाजार, दिनांक 18 / 05 / 2021

प्रतिलिपि :–

मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक, उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व रायपुर (छ.ग.) की ओर उपरोक्त संदर्भ में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार

o/c

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)एवं
क्षेत्र संचालक, उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर छत्तीसगढ़

☎ 0771-2429600(O), 2429600(Fax), E-mail – ccfwlrpr@gmail.com, ccf_wlraipur.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि./व.सं.यो./2021/1115 रायपुर,दिनांक: 18 /03/2021

DIVISIONAL FOREST OFFICER
e/Recipt
No. 1189
Date 19/3/21
BALODA BAZAR

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
बलौदाबाजार वनमण्डल
बलौदाबाजार

विषय :– भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के सफल क्रियान्वयन हेतु बलौदाबाजार–भाटापारा जिला के बलौदाबाजार वनमण्डल के बारनवापारा अभ्यारण्य अंतर्गत कसडोल ब्लॉक के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायत के मार्ग समानांतर कुल वनभूमि रकबा 1.137 हे. पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक सोसायटी (चिप्स), रायपुर छत्तीसगढ़ को उपयोग पर देने बाबत्। पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/43975/202020

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/व.त.अ./OFC/800 दि. 26.02.2021.

–⊗⊗⊗–

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के सफल क्रियान्वयन हेतु बलौदाबाजार–भाटापारा जिला के बलौदाबाजार वनमण्डल के बारनवापारा अभ्यारण्य अंतर्गत कसडोल ब्लॉक के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायत के मार्ग समानांतर कुल वनभूमि रकबा 1.137 हे. पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्न कमियां पाई गई है :–

1. आपके द्वारा प्रस्तुत टोपोशीट एवं संयुक्त रुप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र में प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में भिन्नता पाई गई है क्योंकि टोपोशीट में प्रभावित होने वाले समस्त कक्ष बारनवापारा अभ्यारण्य में दर्शित है जबकि उपरोक्त प्रमाण पत्र में प्रभावित होने वाले कक्ष आंशिक रुप से क्षेत्रीय वनमण्डल बलौदाबाजार के क्रमशः सोनाखान एवं लवन परिक्षेत्र में दर्शाये गये है।
2. आपके द्वारा प्रस्तुत वन आवरण मानचित्र (Forest Cover Map) में प्रस्तावित ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन कक्ष क्रमांक 149, 161 एवं 224 से भी होकर गुजरना पाया गया है जबकि बिन्दु क्र. 1 में वर्णित प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख नही है कि उक्त कक्षों के अंतर्गत प्रभावित होने वाले वनक्षेत्र की लंबाई एवं क्षेत्रफल क्या है।
3. आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न (पार्ट–II)– 16 बिन्दुओं के विवरण के बिन्दु 8(iv) में किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य, बायोस्फियर रिजर्व, टायगर रिजर्व, हाथी रिजर्व, वन्यप्राणियों के विचरण से संबंधित गलियारे के प्रस्तावित वनभूमि व्यपवर्तन के 1 कि.मी. की परिधि में स्थित नही होना दर्शाया गया है जबकि यह प्रस्तावित परियोजना बारनवापारा अभ्यारण्य के भीतर से ही गुजरेगी।

अतः उक्त 03 बिन्दुओं निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव तत्काल इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ताकि प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित किया जा सके।

~~संलग्न:– उपरोक्तानुसार।~~

मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
क्षेत्र संचालक, उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व
रायपुर (छत्तीसगढ़)

पृ. क्रमांक/मा.चि./व.सं.यो./2021/ 116 रायपुर,दिनांकः 18 /03/2021

प्रतिलिपि :- 1. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
क्षेत्र संचालक, उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व
रायपुर (छत्तीसगढ़)